झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–259 / 2019

जनार्दन साह ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य द्वारा पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रांची
2. पुलिस अधीक्षक, देवघर
3. पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ ..... विपक्षी गण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री रितेश कुमार, अधिवक्ता

विपक्षी गण के लिए : सुश्री पिंकी तिवारी, ए0जी0 के ए0सी0

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामला उठाया गया। पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को इसके साथ कोई आपत्ति नहीं थी और निवेदन किया कि ऑडियो और वीडियो का गुणवत्ता ठीक है।

04 / 26.02.2021 पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

वर्तमान आवेदन डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–510 / 2009 की पुनःस्थापन हेतु दायर किया गया है, जिसे 11.03.2019 को गैर–उपस्थिति के लिए खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि जब मामला सूचीबद्ध किया गया था, तो संबंधित वकील अपनी व्यक्तिगत कठिनाई के कारण उपस्थित नहीं हो सके और रिट याचिका को गैर–उपस्थिति के लिए खारिज कर दिया गया था। यह आगे निवेदन किया गया है कि बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर की गई है और यदि रिट याचिका को पुनःस्थापित नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्त्ता को अपूरणीय क्षति होगी।

विपरीत पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

याचिकाकर्त्ता के निवेदन और इस याचिका में दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान सी0एम0पी0 की अनुमति है। डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–510/2009 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

(राजेश कुमार, न्याया0)